

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान सम्पत्ति/आस्तियों और दायिताएं की विवरणी (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March.....

(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name of the Public servant in full(in block letters)

.....

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति (पदनाम, नाम और संगठन का पता) Present public position held (Designation, name and address of organisation).....

(ख) जिस सेवा से संबंधित है(यदि लागू हो) / Service to which belongs(if applicable).....

घोषणा /Declaration:

मैं यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के बाबत संतुलित विवरणी अर्थात् प्रारूप I से 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

दिनांक/Date.....

हस्ताक्षर / Signature.....

पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति तारीख उपदर्शित करें।

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

टिप्पणी 1. इस विवरण में उसका स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी परिसंपत्तियों और दायिताओं का विवरण समाविष्ट होगा। विवरण में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बच्चों की परिसंपत्तियों / दायिताओं के बाबत ब्यौसा सम्मिलित होगा।

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

(धारा 44 (2): लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देंगे -

(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to :-

(क) उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनका वह उसके पति या उसकी पत्नी और उसके आश्रित बच्चे संयुक्त: या पृथकत: स्वामी या फायदाग्राही हैं :

a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बच्चों के दायिताओं के संबंध में, सूचना देना।

(b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

टिप्पणी 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो 'कर्ता' या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसी संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्रपत्र सं. 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहाँ कहीं आवश्यकता हो।

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.

Note 3. आश्रित बच्चे का अभिप्राय ऐसे पुत्र और पुत्रियों से है जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त की धारा 44(3) के अधिनियम, 2013 का स्पष्टीकरण दिया गया है)

Note 3. "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. (Explanation below Section 44(3) of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013).



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Bharat heavy electricals limited

पावर सेक्टर : पूर्वी क्षेत्र Power Sector Eastern Region

परिशिष्ट /APPENDIX-II
(नियम/Rule 3(1)देखिए)

प्रपत्र सं./ FORM No. I

लोकसेवक, उसके पति/ पत्नी और आश्रित बच्चों का ब्यौसा /Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

क्रम सं. SL No.		नाम/ Name	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो/ Public Position held, if any	तया विवरणी उनके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है/ Whether return being filed by him/her, separately
1	स्वयं /Self			
2	पति या पत्नी /Spouse			
3	आश्रित/ Dependent-1			
4	आश्रित/Dependent-2			
5.*	आश्रित/Dependent-3			

यदि आवश्यक हो तो और पंक्ति जोड़ें * Add more rows, if necessary.

दिनांक/Date.....

हस्ताक्षर/ Signature.....

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में In the principal rules , in Appendix II, -

(क) प्ररूप सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा for Form No.II, the following form shall be substituted, namely :-

‘ प्ररूप सं. Form no. II

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण Statement of movable property on first appointment or as on 31st March,20.....

(स्वयं , पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें/Use separate sheets for self, spouse and each dependent child)

क्रमसं. SI No.	विवरण Description	टिप्पणियां,यदि कोई हो Remarks if any
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष / Cash & Bank Balance :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) / Insurance (premia paid) :	
	नियत / आवर्ती जमा fixed Recurring Deposits:	
	शेयरShare / बॉण्ड्स Bonds :	
	पारस्परिक निधि (निधियाँ) / Mutual Fund(s) :	
	पेंशन स्कीम / भविष्य निधि Pension Scheme / Provident Fund :	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हो /Other investment, if any :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति , दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपये से अधिक)/Personal Loans/ advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables form debtors and the amount(exceeding two months basic pay or rupees one lakh, as the case may be)	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे / Motor Vehicles(Details of make, registration number, year of purchase and amount paid)	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार / (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम , चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम) Jewellery (Give details of approximate weight plus or minus 10 gms. In respect of gold and precious stones, plus or minus 100gms., in respect of silver).]	
	सोना/ Gold	
	चांदी/ Silver	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न /Precious metals and precious stones	
	मिश्रित मदें (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें) (Composite items Indicate approximate value)***	



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Bharat heavy electricals limited

पावर सेक्टर : पूर्वी क्षेत्र Power Sector Eastern Region

(Vi)	<p>कोई अन्य आस्ति / [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above]</p> <p>(क) फर्नीचर/ Furniture (ख) फिक्सचर /Fixtures (ग) प्राचीन वस्तुएं /Antiques (घ) रंगचित्र (पेंटिंग)/ Paintings (ङ) इलैक्ट्रॉनिक उपकरण/ Electronic equipment (च) अन्य/other</p> <p>[किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग(अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो कुल वेतन या 1.00 लाख रूपए से अधिक हो / Indicates the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category / e.g- furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) / exceeds two months basic pay or Rs. 1. 00 lakh, as the case may be)]</p>	
------	---	--

तारीख/Date.....

हस्ताक्षर/ signature

* विदेशी बैंक (बैंकों) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे / Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** 2 लाख रूपए से अधिक के विनिधान व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट किए जाएंगे। 2 लाख रूपए से कम के विनिधान को एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है/Investments above Rs. 2 lakhs, to be reported individually. Investment below Rs. 2 lakhs may be reported together.

*** पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नया संयुक्त मद अर्जित नहीं किया गया हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो / Value indicated in the First return need not to be revised in subsequent return as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year."

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....का यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण (जैसे कि भूमि, घर, दुकानें, अन्य भवन, आदि)

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March,20.... (e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

(लोक सेवक, उसके पति या उसकी पत्नी और आश्रित बच्चों द्वारा धारित)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

क्र. सं. / Sl. No.	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि) / Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	युनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थित है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि) / Precise location (Name of District, Division Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों के मामले) / Area of land (in case of land and buildings)	भूमि संपत्ति के मामलों में भूमि की प्रकृति / Nature of land in case of landed property	हित का विस्तार / Extent of interest	यदि लोक सेवक का नाम नहीं है तो किसका नाम धारित है, उल्लेख करें और उससे लोक सेवक की नातेदारी, यदि कोई / If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	अर्जन की तारीख / Date of acquisition	कैसे अर्जित की गई (वया क्रय, बंधक, पट्टा विरासत, दान या अन्य द्वारा) और उस व्यक्ति/व्यक्तियों के ब्यौरे सद्धित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबंध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पणी 1 देखें और अर्जन की लागत / How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/persons concerned) (Please see Note 1 below) and cost of acquisition.	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए) / Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय / Total annual income from the property	टिप्पणी / Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

दिनांक/Date.....

हस्ताक्षर / Signature.....

टिप्पणी (1): स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, 'पट्टा' शब्द से वर्ष दर वर्ष या किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्राय होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त होता जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

Note (1): For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Bharat heavy electricals limited

पावर सेक्टर : पूर्वी क्षेत्र Power Sector Eastern Region

प्ररूप सं. IV के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा /
for Form No. IV, the following Form shall be substituted, namely

प्ररूप सं. 4 /FORM NO. IV

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20..... को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायिताओं का विवरण
Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20..... .

क्रम सं Sl No.	ऋणी (स्वयं/पति या पत्नी या आश्रित बालक Debtor(self/Spouse or dependent children)	लेनदार का नाम और पता / Name and address of Creditor	ऋण / दायिता की प्रकृति और रकम Nature of debt/liability and amount	टिप्पणियाँ /Remarks
1	2	3	4	5

तारीख/Date

हस्ताक्षर/ Signature

टिप्पण Note 1: उधारों की व्यक्तिगत मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहाँ लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये हैं, सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।/Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

टिप्पण Note 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार से और व्यक्तियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांस) को सम्मिलित करना होगा।/The statement should include various loans and advances (exceeding the value in note 1) taken from banks, companies \, financial institutions, Central state Government and form individuals.”

[फा. F.सं.No. 407/ 12 / 2014 – एवीडीAVD - i v बी(B)]
जिश्नु बरूआ,संयुक्त सचिव JISHNU BARUA, JT. Secy.

टिप्पण/Note: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 8 सितम्बर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था।/ The principal rules were published in the Gazette of india, Extraordinary, vide notification No. G.S.R. 638 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 8th September, 2014 .